हरिराम वगैराह बनाम भवंरसिंह वगैराह प्रकरण 01/16

19.12.2017	पक्षकारान के वकील उपस्थित। प्रकरण में संबंधित पक्षकारो को सुना गया। प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दंडनायक भीनमाल मुख्यालय सांचोर द्वारा उनके न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 558/1978 अनवान भंवरसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत साकिन भीनमाल वगैराह बनाम वजा पुत्र भारमल कौम भील साकिन सुरता की ढाणी तहसील भीनमाल में पारित किये गये निर्णय/डिग्री दिनांक 14.08.1978 के द्वारा अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि को अनियमित डिग्री के द्वारा अन्य वर्ग सवर्ण जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरित किया गया है, जो धारा 42 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत होने से यह प्रकरण माननीय राजस्व मंडल अजमेर को राजकीय अधिवक्ता राजस्व मंडल अजमेर के मार्फत रेफरेन्स प्रकरण भिजवाने हेतु पत्रावली राजस्व अनुभाग कार्यालय हाजा को भिजवाई जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सही/- **जिला कलेक्टर** **जालोर**	